

## मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2023 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (Advisory)

1. द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों (प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में भाग नहीं लिया गया) द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं समय तक Edit Option उपलब्ध रहेगा। अंतिम locked choice को ही मान्य किया जायेगा।
2. द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद" संशोधन अधिसूचना एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 (संशोधन 19 जून 2019) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए रू0 10 (दस) हजार एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा रू0 5 (पांच) हजार की राशि द्वितीय चरण की च्वाइस फिलिंग से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क रू0 1 (एक) लाख जमा करने होंगे। निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को रू0 1(एक) लाख एवं एन.आर.आई. अभ्यर्थियों हेतु रू0 10 (दस) लाख जमा करने होंगे। इस अग्रिम शुल्क का समायोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम के नियम 12 (7) के अनुसार किया जायेगा।

द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति श्रेणी ( **ST category**) के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिये च्वाइस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी।

द्वितीय चरण में च्वाइस फिलिंग किये जाने से पूर्व जमा किये जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में किया जायेगा।


3. द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जायेगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (Non Domicile) को आवंटन मेरिट के अनुसार दिया जायेगा।

4. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी (Non Domicile) हैं, आवंटन हेतु च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग कर सकेंगे।
5. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है पर द्वितीय चरण में च्वाइस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा एवं अभ्यर्थी को Satisfied माना जायेगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परन्तु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये है ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेंगे तथा उन्हें किसी तरह की कार्यवाही नहीं करनी होगी।
7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाइस) का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाइस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का विकल्प अच्छी तरह सोच विचार कर भरें एवं उन महाविद्यालयों का विकल्प (च्वाइस) न भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हों। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उप नियम (6) के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुये भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय (College), पाठ्यक्रम (Course) अथवा श्रेणी (Category) में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में (द्वितीय चरण) में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की स्थिति में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 12 (7) (ग) के अनुसार जमा की गई अग्रिम राशि राजसात कर ली जायेगी। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रेणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
9. प्रवेश के उपरांत त्याग पत्र (Resignation) देने की स्थिति में अभ्यर्थी पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉण्ड लागू होगा।
10. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा।
11. सभी आवंटित अभ्यर्थियों (नवीन आवंटित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड हुये हैं) को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क

पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करानी होगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी (Fresh Allotment), को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची-3 के अनुसार है। पात्र घोषित अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा।

काउंसिलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरान्त प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किये गये अग्रिम शुल्क को घटाकर) जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी को लौटाई जायेगी।

12. Upgraded अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति योजना के विकल्प किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
13. पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क ( शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के शुल्क का समायोजन किया जायेगा) ऑनलाईन जमा करना होगा जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके खातों में इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) राशि की सीमा बढ़ा लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की प्रवेश अवधि कम होने के कारण शीघ्रताशीघ्र आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।
14. शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जारी की जायेगी।
15. शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जायेगी।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश